उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

संख्या : 1228–पें0एवंआर0–28/पाकालि/23–06–पें0एवंआर0/23, दिनांक : 21 जुलाई, 2023

कार्यालय–ज्ञाप

एतद्द्वारा उत्तर प्रदेश शासन, विधायी अनुभाग–1 की अधिसूचना संख्या : 1877/79–रिट–1–2020–2(क)20–2020 दिनांक 21.10.2020 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा एवं विधिमान्यकरण अध्यादेश, 2020 जिसे वित्त (सामान्य) अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या : 1/2021/सा–3–116/दस–2020–933/89, दिनांक 01 मार्च, 2021 द्वारा निर्गत किया गया है, को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं इसकी सहयोगी वितरण कम्पनियों की सेवाओं में यथावत्/सम्पूर्णता में अंगीकृत किया जाता है।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

संख्या :1228–पें0एवंआर0–28/पाकालि/23 तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ/केस्को–कानपुर।
4. समस्त निदेशक, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–I/स्तर–II), उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0।
7. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, एसएलडीसी परिसर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
8. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), शक्ति भवन, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0।
9. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0।
10. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0।
11. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को 16 जून, 2023 को सम्पन्न 192वीं बैठक के मद संख्या–192(14) के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
12. अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

आज्ञा से,
21/07/23
(शमशाद अहमद)
अपर सचिव (तृतीय)

संख्या-1/2021/सा-3-116/दस-2020-933/89

प्रेषक,

एस0 राधा चैहान,
अपर मुख्य सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

2- समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 01 मार्च, 2021

विषय: पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा एवं विधिमान्यकरण अध्यादेश, 2020 ।

महोदय,

पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा को परिभाषित करते हुये विधायी अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-1877/79-रिट-1-2020-2(क)20-2020 दिनांक 21-10-2020 द्वारा 'उत्तर प्रदेश पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा एवं विधिमान्यकरण अध्यादेश, 2020' प्रख्यापित किया गया है। (प्रतिलिपि संलग्न)

2- उपरोक्त अध्यादेश की धारा 2 में यह स्पष्ट किया गया है कि अर्हकारी सेवा का तात्पर्य सरकार द्वारा विहित सेवा नियमावली के अनुसार किसी अस्थाई या स्थाई पद पर नियुक्त किसी अधिकारी द्वारा उक्त पद के लिए की गयी सेवाओं से है। धारा 3 में यह स्पष्ट किया गया है कि किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुये भी उ0प्र0 रिटायरमेण्ट बेनीफिट रूल्स, 1961 के नियम 3 के उप नियम (8) के संबंध में और उसके अधीन की गयी कार्यवाही उक्त अध्यादेश के अन्तर्गत दिनांक 01-04-1961 से विधिमान्यकृत समझी जायेगी। अध्यादेश के उपबंध दिनांक 01 अप्रैल, 1961 से प्रभावी किये गये हैं ।

3- पूर्ववर्ती वर्षों में कतिपय विभागों में एक बड़ी संख्या में तदर्थ, कार्य प्रभारित एवं सीजनल आधार पर कर्मचारियों की नियुक्ति हुयी है। ऐसे कार्मिकों को राज्य सरकार द्वारा विधिवत विनियमित कर दिये जाने की तिथि से उनकी नियमित सेवा प्रारम्भ होती है एवं तद्नुसार अर्हकारी सेवा का आगणन विनियमितीकरण की तिथि से करते हुये सेवानैवृतिक लाभ अनुमन्य किये जाते है। पिछले कुछ समय से ऐसे संबंधित कर्मचारियों द्वारा माननीय न्यायालयों में इस आशय के वाद योजित किये जा रहे हैं कि विनियमितीकरण के पूर्व की उनकी तदर्थ/कार्य प्रभारित/सीजनल सेवाओं को जोड़ते हुये सेवानैवृतिक लाभ अनुमन्य किये जायें। अतः, यह नितान्त आवश्यक है कि ऐसे समस्त वादों में राज्य सरकार की ओर से दाखिल किये जाने वाले प्रतिशपथ पत्रों में उपरोक्त अध्यादेश की व्यवस्था मा0 न्यायालयों के समक्ष स्पष्ट रूप से रखी जाये ।

4- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऐसे सभी विधिक वादों में 'उत्तर प्रदेश पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा एवं विधिमान्यकरण अध्यादेश, 2020' को राज्य सरकार की ओर से प्रतिवाद किये जाने हेतु प्रमुख आधार बनाया जाय। ऐसे प्रकरण जिनमें प्रतिशपथ पत्र बिना उक्त अध्यादेश का उल्लेख किये दाखिल कर दिये गये हैं, उनमें उक्त अध्यादेश की व्यवस्था का उल्लेख करते हुये पूरक प्रतिशपथ पत्र तत्काल दाखिल किये जायें। ऐसे प्रकरण जिनमें राज्य सरकार की ओर से दाखिल प्रतिशपथ पत्र में उक्त अध्यादेश की व्यवस्थाओं का उल्लेख नहीं किया गया था, और मा0 न्यायालयों द्वारा राज्य सरकार के नियमों में प्रतिकूल आदेश पारित किये गये हैं, उनमें यथास्थिति पुनर्विचार याचिका, विशेष अपील, विशेष अनुज्ञा याचिका, क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल करायी जाये।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीया,

(एस0 राधा चैहान)
अपर मुख्य सचिव, वित्त।

संख्या-सा-1/2021/सा-3-116(1)/दस-2020-933/89 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- मा0 महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश।
2- प्रमुख सचिव, न्याय, उत्तर प्रदेश शासन।
3- समस्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/लखनऊ पीठ, लखनऊ।
4- समस्त एडवोकेट ऑन रिकार्ड, उत्तर प्रदेश।
5- निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
6- समस्त मण्डलीय अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, उत्तर प्रदेश।
7- समस्त वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(नील रतन कुमार)
विशेष सचिव, वित्त।

क्रम-संख्या–206

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०
डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–2, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश)

लखनऊ, बुधवार, 21 अक्टूबर, 2020

आश्विन 29, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग–1

संख्या 1877/79-वि-1–2020-2(क)20-2020

लखनऊ, 21 अक्टूबर, 2020

अधिसूचना

विविध

भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय द्वारा निम्नलिखित उत्तर प्रदेश पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा तथा विधिमान्यकरण अध्यादेश, 2020 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 19 सन् 2020) जिससे वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, प्रख्यापित किया गया है जो इस अधिसूचना द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा तथा विधिमान्यकरण अध्यादेश, 2020

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 19 सन् 2020)

[भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित]

पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा और इस निमित्त कृत कतिपय कार्यवाहियों का विधिमान्यकरण और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक मामलों का उपबन्ध करने के लिये

अध्यादेश

चूँकि, राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है;

अतएव, अब, भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करती हैं :–

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1-(1) यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा तथा विधिमान्यकरण अध्यादेश, 2020 कहा जायेगा।

(2) यह सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में लागू होगा।

(3) यह दिनांक 1 अप्रैल, 1961 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा

2-किसी अधिकारी को पेंशन के हक के प्रयोजनार्थ किसी नियम, विनियम या शासनादेश में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी "अर्हकारी सेवा" का तात्पर्य सरकार द्वारा विहित सेवा नियमावली के उपबन्धों के अनुसार किसी अस्थायी या स्थायी पद पर नियुक्त किसी अधिकारी द्वारा उक्त पद के लिए की गई सेवाओं से है।

विधिमान्यकरण

3-किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुये भी इस अध्यादेश के प्रारम्भ होने के पूर्व उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनीफिट रूल्स, 1961 के नियम 3 के उपनियम (8) के सम्बन्ध में या तद्धीन कृत या की गई तात्पर्यित कोई कार्यवाही, इस अध्यादेश के उपबन्धों के अधीन किये जाने हेतु और सदैव से कृत या की गई समझी जायेगी और वे उतनी ही विधिमान्य होंगी तथा सदैव से विधिमान्यकृत समझी जायेंगी, मानो इस अध्यादेश के उपबन्ध दिनांक 1 अप्रैल, 1961 से समस्त सारवान समयों पर प्रवृत्त थे।

अध्यारोही प्रभाव

4-अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के आधार पर प्रभावी किसी लिखत में अन्तर्विष्ट इस अध्यादेश से असंगत किसी बात के होते हुये भी इस अध्यादेश के उपबन्ध प्रभावी होंगे।

आनंदीबेन पटेल,
राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
जे0 पी0 सिंह-II,
प्रमुख सचिव।

No. 1877(2)/LXXIX-V-1-2020-2(ka)20-2020
Dated Lucknow, October 21, 2020

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Pension Hetu Aharkari Sewa Tatha Vidhimanyakaran Adhyadesh, 2020 (Uttar Pradesh Adhyadesh Sankhya 19 of 2020) promulgated by the Governor. The Vitta (Samanya) Anubhag-3 is administratively concerned with the said Ordinance.

THE UTTAR PRADESH QUALIFYING SERVICE FOR PENSION AND VALIDATION ORDINANCE, 2020

(U. P. Ordinance no. 19 of 2020)

[Promulgated by the Governor in the Seventy-first Year of the Republic of India]

AN

ORDINANCE

to provide for qualifying service for pension and to validate certain actions taken in this behalf and for matters connected therewith or incidental thereto.

WHEREAS, the State legislature is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor is pleased to promulgate the following Ordinance :-

1. (1) This Ordinance may be called the Uttar Pradesh Qualifying Service for Pension and Validation Ordinance, 2020. — Short title, extent and commencement

(2) It shall extend to the whole of the State of Uttar Pradesh.

(3) it shall be deemed to have come into force on April 1, 1961.

2. Notwithstanding anything contained in any rule, regulation or Government order for the purposes of entitlement of pension to an officer, "Qualifying Service" means the services rendered by an officer appointed on a temporary or permanent post in accordance with the provisions of the service rules prescribed by the Government for the post. — Qualifying Service for Pension

3. Notwithstanding any Judgement, decree or order of any Court, anything done or purporting to have been done and may action taken or purporting to have been taken under or in relation to sub-rule (8) of rule 3 of the Uttar Pradesh Retirement Benefit Rules, 1961 before the commencement of this Ordinance, shall be deemed to be and always to have been done or taken under the provisions of this Ordinance and to be and always to have been valid as if the provisions of this Ordinance were in force at all material times with effect from April 1, 1961. — Validation

4. Save as otherwise provided, the provisions of this Ordinance shall have effect, notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force or in any instrument having effect by virtue of any law for the time being in force other than this Ordinance. — Overriding effect

ANANDIBEN PATEL,
Governor,
Uttar Pradesh.

By order,
J. P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 314 राजपत्र–2020–(762)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 165 सा० विधायी–2020–(763)–300 प्रतियां–(कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।

341 RPH 2020 (Pension and Validation) (Adhyadesh) Data 4e